

भर्ती-V अनुभाग

पद का नाम	मुख्य वास्तुकार का कार्यालय, शहरी योजना वास्तुकार स्कंध, चंडीगढ़ प्रशासन में सहायक वास्तुकार के 01 (एक) (अनारक्षित) पद हेतु भर्ती। (विज्ञापन सं.07/2023 एवं रिक्ति सं. 23040708508)	
विज्ञापन सं.	07/2023	
रिक्ति सं.	23040708508	
अनिवार्य योग्यता (.यो.अ)	<p>(क) शैक्षिक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान या समकक्ष से वास्तुकला में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा।</p> <p>(ii) वास्तुकला परिषद में पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>(ख) अनुभव : किसी पंजीकृत वास्तुकार के अधीन दो वर्ष का अनुभव।</p>	
वांछनीय योग्यता	शून्य	
उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	अना.	अ.यो.-'क' + अ.यो.-'ख' को 4 वर्ष और इससे अधिक तक बढ़ा दिया गया है।
मानदंड	<p>i) प्रारंभिक संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना / किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑन-लाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।</p> <p>ii) संवीक्षा के लिए अनुभव के रूप में केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दावा किए गए अनुभव पर विचार किया गया है एवं ओआरए के अनुभव कॉलम में बिना इसके संदर्भ के संलग्न किए गए प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>iii) जिन उम्मीदवारों के पास प्रासंगिक अनिवार्य शैक्षित योग्यता नहीं है उन्हें "एलईक्यू-क"[अनिवार्य योग्यता की कमी]के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>iv) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं की न तो</p>	

अंकतालिका और न ही डिग्री एवं निर्धारित प्रपत्र में अ.पि.व. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उन्हें पूर्ण संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

v) अतिथि संकाय/ अंशकालीन/ प्रशिक्षु कार्य / अनुसंधान कार्य/ इंटरनशिप अवधि / ट्रेड प्रमाण पत्र को अनुभव के प्रमाण के रूप में संगत नहीं माना गया है और “अपूर्ण श्रेणी”के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

vi) किसी पंजीकृत वास्तुकार के अधीन एवं सरकारी संगठन से चार वर्ष या अधिक के अनुभव को संगत अनुभव के रूप में विचार किया गया है।

vii) ऐसे आवेदन जिनमें उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में अनिवार्य अनुभव के रूप में दावा किया गया है, के अनुभव संगत नहीं है उनको एलईक्यू (ख)[अनिवार्य योग्यता की कमी (अनुभव)]के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

viii) उम्मीदवार अपने कुल दावा किए गए अनुभव के कारण विचाराधीन क्षेत्र के अंदर आते हैं, लेकिन संगत अनुभव के रूप में गणना के दौरान बढ़ाए हुए अनुभव से कम लेकिन आवश्यक अनुभव से अधिक होने पर एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड की कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।

ix) बढ़ाए गए मानदंड से कम अर्थात् 4 वर्षसे कम अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों को विचारार्थ क्षेत्र के अधीन नहीं लिया गया है और एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड की कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।

x) अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। हालांकि, जहां कहीं आवेदकों ने निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है यदि सभी अनिवार्य सूचना उसमें उपलब्ध हैं।

xi) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग-पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों एवं उम्मीदवारों द्वारा स्वयं अभिप्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को संगत अनुभव की कमी के रूप में माना गया है और ‘अपूर्ण’ श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

	<p>xii) उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता के पंजीकरण संख्या के बिना प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों पर भी विचार नहीं किया गया है एवं 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>xiii) कार्य की प्रकृति स्पष्ट रूप में नहीं दर्शाने वाले अनुभव प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। इसी तरह, ऐसे आवेदक जो संगत अनुभव का दावा करते हैं लेकिन इसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई संपूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें भी "अपूर्ण" के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>xiv) विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों में धारित अनुभव पर विचार किया गया है। यदि अनुभव भर्ती नियमों और पद के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में नहीं है या परिकल्पित अनुभव भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट अनिवार्य अवधि से कम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू-ख" के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है। केवल संगत अनुभव की समयावधि, जिसके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अपेक्षित / संगत अनुभव दर्शाता है, पर विचार किया गया है। ऐसे आवेदक जो संगत अनुभव का दावा करते हैं लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है उनको "अपूर्ण" के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>xv) कुछ उम्मीदवारों को एकाधिक श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>टिप्पणी:- आयोग द्वारा मामला दर मामला के आधार पर मानदंड तय किए जाते हैं।</p>
<p>शॉर्टलिस्ट किए गए अनुक्रमांक एवं अस्वीकृत किए गए अनुक्रमांक</p>	<p>साक्षात्कार में बुलाने हेतु: अनुक्रमांक: 19*, 25*, 50, 80*, 95, 108, 140, 142, 151*, 176, 200*, 216*, 220* (13 उम्मीदवार)</p> <p>* अनंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से अलग से मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन जो उनके ऑन-लाइन आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजे गए हैं। यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि से पहले दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आवेदन को अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>

शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अस्वीकरण श्रेणी	अनुक्रमांक
	एलईक्यू ख	15, 29, 59, 76, 160, 165 (06 उम्मीदवार)
	अपूर्ण	04, 06, 13, 14, 22, 38, 40, 55, 65, 67, 74, 85, 87, 101, 103, 112, 119, 127, 149, 152, 163, 170, 171, 172, 174, 177, 180, 187, 191, 212, 219, 221 (32 उम्मीदवार)
	अधिक आयु	132 (01 उम्मीदवार)
	एलईसी	05, 28, 39, 53, 77, 102, 106, 114, 115, 118, 169, 181, 224, 232 (14 उम्मीदवार) एवं सभी शेष उम्मीदवार जिनके अनुक्रमांक ऊपर उल्लिखित नहीं हैं।

संकेतक:

- (i) एलईक्यू (क) : अनिवार्य योग्यता की कमी (शैक्षिक)।
- (ii) एलईक्यू (ख) : अनिवार्य योग्यता की कमी (अनुभव)।
- (iii) एलईसी : बढ़ाए गए मानदंड की कमी।

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. जिन उम्मीदवारों को उनके ऑन-लाइन आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर पृथक रूप से ई-मेल के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के अध्यक्षीन साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है वे दिनांक 05.05.2024 तक ई-मेल आईडी usr5.upsc@nic.in पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं करने पर आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2. वे उम्मीदवार जो इस पद के साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और कार्यप्रणाली के अनुसार अपने आवेदन अस्वीकृत होने के कारण अभ्यावेदन करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक 05.05.2024 तक उचित आधारों / कारणों के साथ अभ्यावेदन usr5.upsc@nic.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तारीख के पश्चात् प्राप्त मेल खोली नहीं जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधारों / कारणों, अपनाए गए मानदंडों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। हालांकि, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही इसकी जांच की जाएगी। इसके पश्चात्, संशोधित और अद्यतित संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर

अपलोड की जाएगी। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का व्यक्तिगत रूप से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा।

3. पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक के साथ आयोग की वेबसाइट पथ पर अपलोड कर दी गई है :

Home>>Recruitment>>Status of Recruitment Cases (Advertisement-wise)>>Applicant's list & Scrutiny

टिप्पणी : साक्षात्कार कार्यक्रम नियत समय पर अपलोड कर दिया जाएगा।

अवर सचिव (भर्ती.V)

उपरोक्त विवरण के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा .